

फा. सं.14-7/2011-अकाद. (विविध)
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016

6 जनवरी, 2021

अधिसूचना

विषय: ब्लॉक 2018-21 के दौरान नीपाकर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के बदले विशेष कैश पैकेज।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागके कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 12(2)/2020-ई-II(ए) दिनांक 12अक्टूबर, 2020 और 10नवंबर, 2020 के अनुसरण में सभी संबंधितों को यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी खण्ड2018-21 में एलटीसी के बदले में इसका चुनाव करता है तो एलटीसीके नकद समतुल्य, जिसमें अवकाश नकदीकरण और एलटीसी के हकदार के लिए एलटीसी का किरायाशामिल है, का भुगतान प्रतिपूर्ति के माध्यम से किया जा सकता है। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. कर्मचारी वास्तविक व्यय पर एलटीसीकीहकदारी से अधिक राशि खर्च करे।
2. पूर्ण अवकाश नकदी के बराबर नकद की अनुमति होगी, बशर्ते कर्मचारी इसके समान राशि खर्च करे। इसकी गणना किसी कर्मचारी के लिए उपलब्ध एलटीसी पर अवकाश की संख्या के हिसाब से की जाएगी।
3. इस उद्देश्य के लिए मानित एलटीसी किराया नीचे दिया गया है:

कर्मचारी का वर्ग	प्रति व्यक्ति मानित एलटीसी किराया (जाना व आना)
वे कर्मचारी जो विमानकिराए के व्यवसाय श्रेणी के हकदार हैं	₹.36,000/-
वे कर्मचारी जो विमानकिराए केइकॉनमी श्रेणी के हकदार हैं	₹.20,000/-
वे कर्मचारी जो किसी भी श्रेणी के रेल किराए के हकदार हैं	₹.6,000/-

4. यदि कर्मचारी ऊपर दिए गए किराए के मूल्य का 3 गुना राशि खर्च करता है, तो नकद समकक्ष की अनुमति दी जा सकती है।
5. छुट्टी के नकदीकरण और किराया दोनों के लिए राशि स्वीकार्य होगी यदि कर्मचारी खर्च करता है:(i)छुट्टी नकदीकरण के मूल्य के बराबर राशि और;(ii) मानित किराए के समतुल्य की तीन गुना राशि जैसा कि ऊपर प्रदत्त है, ऐसी वस्तुओं की खरीद पर/ ऐसी सेवाओं की खरीद पर, जो कि डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से न्यूनतम 12% की जीएसटी दर के अनुसार ऊपर दी गई

नकद राशि के बराबर हैं और एक वाऽचर प्राप्त करता है जो जी.एस.टीसंख्या और जी.एस.टी.की राशि का दर्शाता है।

6. स्वीकार्य भुगतान पैकेज के पूर्ण मूल्य तक सीमित रहेगा [एलटीसी और किराए के लिए स्वीकार्य के रूप में छुट्टीनकदीकरण] या खर्च पर निर्भर करता है।

7. जबकि छुट्टी नकदीकरण के मामले मेंटीडीएस लागू होता है, क्योंकि मानितएलटीसी किराए की नकद प्रतिपूर्ति वास्तविक यात्रा कीएवज में है,इस एलटीसी किराए के लिए उपलब्ध वर्तमान आयकर छूट की तर्ज पर छूट दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में विधायी संशोधन नियत समय में प्रस्तावित किया जाएगा। इसलिए, टीडीएस को एलटीसी के मानितकिराए की प्रतिपूर्ति पर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार इस पैकेज के तहत की गई प्रतिपूर्ति इस पैकेज को जारी करने के लिएइस आदेश के जारी किए जाने के उपरांतकी अवधि के दौरान की गई खरीद/प्राप्त सेवाओं के चालान की रसीद परठन कर्मचारियों से है जो इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए किसी कर्मचारी को छुट्टी का नकदीकरण और एलटीसी किराया दोनों का विकल्प चुनना चाहिए।

9. अवकाश नकदीकरण की 100% तक की राशि और मानित किराए के मूल्य का 50% कर्मचारी के बैंक खाते में अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा सकता है, जो पैरा 5 में दिए गए अनुसार माल और सेवाओं की खरीद और प्राप्त करने के लिए रसीदों की प्रस्तुति के आधार पर तय किया जाएगा।इस पैकेज के तहत (अग्रिम के साथ या इसके बिना) दावे वित्तीय वर्ष के भीतर किए और निपटाए जाने हैं। अग्रिम केअन-उपयोग/कम उपयोग का लेखाकारण डीडीओ द्वारा एलटीसी अग्रिम से संबंधित विद्यमान प्रावधानों के अनुसार किया जाना है अर्थात् अन-उपयोग के मामले में पूर्ण अग्रिम की तत्काल वसूली और अग्रिम के अप्रयुक्तअंश कीदण्डित ब्याज के साथ वसूली।

10. ये आदेश 12 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होंगे और चालू वित वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगे।


(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

प्रति:

सभी नीपास्टाफ

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - कुलपति को सूचना हेतु
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक
3. वित अधिकारी (प्रभारी)
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)